



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082021-229195
CG-DL-E-24082021-229195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3168]
No. 3168]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

का.आ. 3457(अ).—राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 (1971 का 84वां) की धारा 3 की उपधारा (2) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 07 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3343 (अ.) जो कि दिनांक 07 जुलाई, 2018 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II-खंड 3 – उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लेकर अगले आदेश जारी होने तक निम्नलिखित नामांकन करते हैं:-

उपर्युक्त अधिसूचना में मद सं. (ख) और (ग) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ख) मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय पदेन सदस्य तथा उपाध्यक्ष होंगे;

(ग) राज्य मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पदेन सदस्य होंगे।”

[फा. सं. एनईसी-17/30/2021- अवर सचिव (एस.एस.) का कार्यालय]

अनुराधा एस. चगती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2021

S.O. 3457 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (4) of section 3 of the North Eastern Council Act, 1971 (84 of 1971), and in partial modification in the notification of the Government of India in the Ministry of Development of North Eastern Region number S.O. 3343 (E) dated the 7th July, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th July, 2018, the President hereby makes the following nominations, with effect on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and until further orders, namely:-

In the said notification, for items (b) and (c), the following items shall be substituted, namely:-

- “(b) Minister, Ministry of Development of North Eastern Region to be an *ex-officio* Member, who shall be the Vice-Chairman;
- (c) Minister of State, Ministry of Development of North Eastern Region to be an *ex-officio* Member.”

[F. No. NEC-17/30/2021-O/o US(SS)]

ANURADHA S. CHAGTI, Jt. Secy.